



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

डिक्री मुकदमा इब्दादाई (ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्दा दीवानी)

वादी

प्रतिवादीगण

1. मंगलराम महावर पुत्र भूराराम जाति महावर निवासी 5 एच/146, इन्दिरा गांधी नगर, खातीपुरा रेल्वे स्टेशन के सामने, दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1. गैन्दीराम पुत्र पांचू
2. गोदूराम पुत्र पांचू
3. ज्ञानचन्द पुत्र चन्दाराम (नाम हजफ)
4. मन्नाराम पुत्र पांचू
5. मनमोहन पुत्र चन्दाराम (नाम हजफ)
6. राकेश पुत्र भगवानसहाय (नाम हजफ)
7. लालाराम पुत्र चन्दाराम (नाम हजफ)
8. शान्ति पत्नी भगवानसहाय
9. सोनू पुत्र भगवानसहाय (नाम हजफ) समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम रलावता तहसील बस्सी जिला जयपुर।
10. उप पंजियक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
11. सरकार जूरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
12. प्रकाश चन्द सिंघानिया पुत्र भंवरलाल सिंघानिया जाति रैगर निवासी टेवडी विराटनगर जिला जयपुर।



दावा घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री राजेश कुमार शर्मा, एड0 वादी
श्री रामचन्द्र मीणा, एड0 प्रतिवादी संख्या 12
पर्चा डिक्री

मुकदमा न0 171/2024

जी.सी.एम.एस. न0 2024/300

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू हमारे मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा संख्या 37 रकबा 1.4921 है0, ख.न. 69 रकबा 0.3414 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.8335 हैवटेयर वाके ग्राम रलावता प.ह. सिन्दौली तहसील बस्सी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 23.12.2024 के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	मंगलराम महावर पुत्र भूराराम महावर हिस्सा पूर्ण जाति कोली सा. 5 एच/146, इन्दिरा गांधी नगर, खातीपुरा रेल्वे स्टेशन के सामने, दांतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।	37/1	0.3667
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.3667


उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

2	गैन्दीलाल पुत्र पांचू हिस्सा 1/4 जाति वैरवा सा.देह, गोदूराम पुत्र पांचू हिस्सा 1/4 जाति वैरवा सा. देह, ज्ञानचन्द्र पुत्र चन्दाराम हिस्सा 1/24 जाति वैरवा सा.देह, मन्नाराम पुत्र पांचू हिस्सा 1/4 जाति वैरवा सा.देह, मनमोहन पुत्र चन्दाराम हिस्सा 1/24 जाति वैरवा सा.देह, राकेश पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/24 जाति वैरवा सा.देह, लालाराम पुत्र चन्दाराम हिस्सा 1/24 जाति वैरवा सा.देह, शान्ती पत्नी भगवानसहाय हिस्सा 1/24 जाति वैरवा सा.देह, सोनू पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/24 जाति वैरवा सा.देह।	37/2 69	1.1254 0.3414
	कुल कित्ता 2		कुल रकबा 1.4668

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावे। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावे। तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी के जरिये पत्राक भू.अ./2024/7342 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा ग्य कुर्रैजात रिपोर्ट को अन्तिम डिग्री का भाग बनाया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बंदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद-रफत में गजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

जयपुर ग्रामीण (रा.ज.)